

**कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार**

**Devnarayan Scheme of Distribution of Scooty / encouragement amount for girls**

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण/ प्रोत्साहन राशि योजना

1	योजना का नाम	<b>Devnarayan Scheme for Distribution of Scooty / encouragement amount for girls</b> देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण / प्रोत्साहन राशि योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की नियमित स्नातक प्रथम व नियमित छात्राओं हेतु वर्ष 2011-12 में 500 स्कूटी तथा 2012-13 से 1000 स्कूटी तथा द्वितीय व तृतीय वर्ष स्नातक छात्राओं हेतु दस हजार रु व स्नातकोत्तर छात्राओं हेतु बीस हजार रु वार्षिक की प्रोत्साहन राशि
3	लाभान्वित वर्ग	राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की नियमित छात्राएं
4	पात्रता	राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की नियमित छात्राएं आय सीमा 2 लाख रु वार्षिक स्कूटी हेतु - बारहवीं की परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्रोत्साहन राशि हेतु - द्वितीय, तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर एवं पूर्वोक्त की छात्राओं द्वारा पूर्व परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की छात्राओं द्वारा पूर्व परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक
5	देय सुविधाएं	प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु स्कूटी वाहन मय एक वर्ष के बीमा द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु दस हजार रु वार्षिक की प्रोत्साहन राशि स्नातकोत्तर छात्राओं हेतु बीस हजार रु वार्षिक की प्रोत्साहन राशि
6	आवेदन का तरीका	निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर विद्यार्थी उस महाविद्यालय में आवेदन करें जहाँ वे अध्ययनरत हों
7	आवेदन कहाँ किया जाए	विद्यार्थी अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करें
8	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवेदन प्रपत्र के अनुसार
9	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य

For details and circulars regarding the scheme visit: <http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in>  
<http://dce.rajasthan.gov.in>

